RAJYA SABHA

Wednesday, the 9th May, 2007/19 Vaisakha, 1929 (Saka)

The House met at eleven of the clock,

MR. CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

बुनकरों के लिए कल्याणकारी उपाय

*481. **श्री अली अनवर:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्दीय सरकार और राज्य सरकारें देश में बुनकरों (विशेष रूप से अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित) के कल्याण और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए क्या कदम उठा रही हैं;

(ख) बुनकरों में कौशल और उद्यमिता के विकास के संबंध में किये गये कार्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य सरकारों ने इस प्रयोयनार्थ कुल कितनी राशि उपलब्ध कराई और कितनी राशि खर्च की?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क)से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) भारत सरकार अल्पसंख्यक वर्ग सहित देश के सभी बुनकरों के लिए विभिन्न विकासीय तथा कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वित करती रही है। ये योजनाएं निम्नानुसार हैं:—

(i) एकीकृत हथकरघा समूह विकास योजना।

(ii) दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना।

(iii) हथकरघा निर्यात योजना।

(iv) विपणन प्रोत्साहन कार्यक्रम

(v) एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना।

(vi) मिल गेट मूल्य योजना

(vii) कार्यशाला-सह-आवास योजना।

(viii) बुनकर कल्याण योजना।

(ix) महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना।

(x) स्वास्थ्य बीमा योजना।

(xi) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना।

(xii) हथकरघा (उत्पादन वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985।

राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार की इन योजनाओं को कार्यान्वित कर रही हैं। इन योजनाओं के अतिरिक्त, राज्य सरकारें अपने राज्यों में बुनकरों के लिए वृद्धावस्था पेंशन, बुनकरों के लिए मुफ्त चावल, प्रधान मंत्री रोजगार योजना, राजीव युवा शक्ति, शिल्पकार क्रेडिट कार्ड, हथकरघा वस्त्रों के उत्पादन के लिए योजना, प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने की योजना, जिला विकास योजना, शहरी बुनकरों के रोजगार सृजन हेतु योजना, राज्य परियोजना पैकेज योजना, व्यक्तिगत हथकरघा बुनकर योजना, एकीकृत समूह विकास योजना, विपणन अध्ययन, कबीर बुनकर पुरस्कार, अनुसंधान एवं विकास योजना, कल्याण पैकेज, धोती और साड़ियों का निशुल्क वितरण योजना, छूट आर्थिक सहायता/विपणन मौलिक योजना, सहकारी हथकरघा बुनकर बचत और सुरक्षा योजना, नए डिजाइनों को तैयार करने के लिए सहायता, ब्याज आर्थिक सहायता योजना जैसी योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं।

(ख) और (ग) भारत सरकार अल्पसंख्यक बुनकरों तथा कामगारों सहित हथकरघा बुनकरों और कामगारों को व्यापक प्रशिक्षण देने के लिए दिसम्बर, 2003 से एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना कार्यान्वित कर रही है ताकि उन्हें तकनीकी, प्रबंधकीय और विपणन दक्षता प्रदान की जा सके जिससे कि वे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित रूख के अनुरूप अपने उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने में सक्षम हो सकें। इस योजना के अंतर्गत, 43060 बुनकरों को कवर करने के लिए दिसम्बर, 2003 से मार्च 2007 तक बुनकर सेवा केन्द्रों को 41.08 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता अवमुक्त की गई है। संबंधित ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

विवरण-I

एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना के अंतर्गत इसके प्रारंभ से लेकर भारत सरकार द्वारा राज्य-वार अवमुक्त की गई राशि तथा कवर किए गए व्यक्ति

राज्य का नाम	शामिल किए गए बुनकरों की संख्या	कौशल में निखार में लिए बुनकर सेवा केन्द्रों को अवमुक्त की गई निधियां (लाख रुपये में)
तमिलनाडु/पांडिचेरी	4500	580.66
आन्ध्र प्रदेश	4460	514.23
कर्नाटक	2940	270.50
केरल	2340	180.51
दिल्ली	2800	63.55
हिमाचल प्रदेश	1180	116.18
राजस्थान	2060	171.31
हरियाणा	680	77.48
पंजाब	200	24.56
उत्तर प्रदेश	3400	280.56
उत्तरांचल	1080	94.13
जम्मू व कश्मीर	700	88.30
महाराष्ट्र	1780	206.81
मध्य प्रदेश	2660	200.83
गुजरात	1680	162.74
छत्तीसगढ़	2280	211.00
असम	1660	189.63
अरुणाचल प्रदेश	340	35.45
मेघालय	380	39.86
नागालैंड	600	60.43
पश्चिम बंगाल	1520	177.81
सिक्किम	280	32.59
उड़ीसा	1880	187.31
बिहार	340	34.69
झारखंड	160	14.23
त्रिपुरा	560	63.97
मिजोरम	240	29.60
कुल	**43060**	**4108.92**

एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण परियोजनाओं की योजना बुनकर सेवा केन्द्रों के माध्यम से भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती है। यह योजना राज्य सरकार के माध्यम से कार्यान्वित नहीं की जाती है।

Welfare measures for Weavers

†*481. SHRI ALI ANWAR: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) the steps being taken by Central Government and the State Governments for the welfare and economic self-dependency of weavers, especially of the minority class, in the country;

(b) the State-wise details of the works related to development of skills and entrepreneurship amongst the weavers; and

(c) the details of the total amount provided by the State Governments alongwith the amount spent for the purpose?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI SHANKERSINH VAGHELA): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

(a) The Government of India has been implementing various developmental and welfare schemes for the weavers in the country including minority class. The schemes are as follows:

1. Integrated Handloom Cluster Development Scheme
2. Deen Dayal Hathkargha Protsahan Yojana
3. Handloom Export Scheme
4. Marketing Promotion Programme
5. Integrated Handloom Training Project
6. Mill Gate Price Scheme
7. Workshed-cum-Housing Scheme
8. Weavers Welfare Scheme

†Original notice of the question was received in Hindi.

9. Mahatma Gandhi Bunkar Bima Yojana
10. Health Insurance Scheme
11. Technology Upgradation Fund Scheme (TUF)
12. The Handloom (Reservation of Article for Production) Act, 1985

The State Governments are implementing these schemes of the Central Government. In addition to these schemes, the State Government are also implementing schemes in their States like Old Age Pension to Weavers, Free Rice to Weavers, Prime Minister's Rozgar Yojana, Rajiv Yuva Shakti, Artisans Credit Card, Scheme for production Handlooms Fabrics, Scheme for Development of Training Programme, District Development Scheme, Scheme for creation of Employment of Urban Weavers, State Project Package Scheme, Individual Handloom Weaver Yojana, Integrated Cluster Development Scheme, Market Study, Kabir Bunkar Puruskar, Research and Development Scheme, Welfare Package, Free Distribution of Dhoti and Saree Scheme, Rebate subsidy/Marketing Inventive Scheme, Cooperative Handloom Weavers Savings and Security Scheme, Assistance for introduction of new designs, Interest Subsidy Scheme.

(b) and (c) The Government of India has been implementing the Integrated Handloom Training Project since December, 2003 for imparting comprehensive training to the handloom weavers and workers including minority weavers and workers for providing technical, managerial and marketing skills to enable them to produce quality products keeping pace with current trend in domestic and international market. Under the scheme, financial assistance of Rs. 41.08 crore has been released to the Weavers Service Centres since December, 2003 to March, 2007 for coverage of 43060 weavers. The details are given in Statement-I.

Statement-I

The State-wise amount released by Government of India and persons covered under Integrated Handloom Training Projects since its inception

Name of State	No. of weavers covered	Funds released to the WSCs for skill upgradation (Rs. in lakh)
Tamil Nadu/Pondicherry	4500	580.66
Andhra Pradesh	4460	514.23
Karnataka	2940	270.50
Kerela	2340	180.51
Delhi	2800	63.55
Himachal Pradesh	1180	116.18
Rajasthan	2060	171.31
Haryana	680	77.48
Punjab	200	24.56
Uttar Pradesh	3400	280.56
Uttaranchal	1080	94.13
J & K	700	88.30
Maharashtra	1780	206.81
Madhya Pradesh	2660	200.83
Gujarat	1680	162.74
Chhattisgarh	2280	211.00
Assam	1660	189.63
Arunachal Pradesh	340	35.45
Meghalaya	380	39.86
Nagaland	600	60.43
West Bengal	1520	177.81
Sikkim	280	32.59
Orissa	1880	187.31
Bihar	340	34.69
Jharkhand	160	14.23
Tripura	560	63.97
Mizoram	240	29.60
TOTAL	43060	4108.92

The Scheme Of Integrated Handloom Training Projects is implemented by the Government of India through the Weavers Service Centres. The scheme is not implemented through the State Government.

श्री अली अनवर: सभापति जी, यह जो जवाब आया है, मैं उससे पूरी तरह से असंतुष्ट हूं। मुझे बेहद अफसोस है कि इतना चालू जवाब, केजुअल जवाब आया है। यह इतने देशव्यापी महत्व का विषय है। माननीय मंत्री महोदय ने बुनकरों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की तकरीबन पच्चीस योजनाएं गिनाई हैं, लेकिन हमने इसने जो सवाल किया है, खंड (ग) में कि राज्य सरकारों ने इस परियोजना के लिए कुल कितनी राशि उपलब्ध कराई है और कितनी खर्च की है, इसका कोई ब्यौरा नहीं है। उन्होंने इसमें जो ब्यौरा दिया गया है, वह केंद्र सरकार ने जो प्रशिक्षण दिया है, 2003 से लेकर 2007 तक, वह प्रशिक्षण 43060 लोगों को दिया है। चार साल के अंदर केंद्र सरकार ने 43,060 लोगों को प्रशिक्षण दिया है । यह ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। देश में सिर्फ बनारस और आसपास में इससे ज्यादा बुनकर हैं। देश में करोड़ों की तादाद में बुनकर हैं। मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि देश में बुनकर खुदकुशी कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, बनारस तक मैं उनकी तहरीक से जुड़ा हूं। बनारस में औरतें खून बेच रही हैं, बच्चे बेच रही हैं। यह बनारस के अखबारों में रिपोर्ट है। लोग पलायन कर रहे हैं। पिछले दो सालों में बनारस में पलायन हुआ है। बनारस की साड़ी बहुत मशहूर है। इससे बनारस जाना जाता है। अभी ढाई हजार लोग बैंगलोर भागकर चले गए। वे रिक्शा चला रहे हैं, ठेला चला रहे हैं। अंडा फेरी बेंच रहे हैं। बढ़िया से बढ़िया कारीगर ऐसा कर रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि ये जो पच्चीस योजनाएं हैं, क्या केंद्र सरकार ने उसका कोई सर्वे कराया है कि नहीं कि ये जमीन पर उतरी हैं या सिर्फ कागजी हैं? क्या इसका कोई सर्वे कराया है, कोई अध्ययन कराया है? ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: जवाब देने दीजिए। बैठिए, सर्वे का जवाब दे रहे हैं आपको।

श्री अली अनवर: जवाब दीजिए। लोग खुदकुशी कर रहे हैं। हमारे प्रश्न के खंड "ग" का आपके पास क्या उत्तर है?

श्री सभापति: बैठिए। आप बोलिए।

श्री शंकर सिंह वाघेला: माननीय सदस्य ने जो कहा है, वह तथ्य इसमें नहीं है। हमारे पास वीवर्स सुसाइड का कोई रिकार्ड स्पेशियली so far as weavers are concerned. नहीं आया है। जब राज्य सरकार का सब्जेक्ट होता है, उसका जवाब देने के लिए, फिगर्स देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ही काबिल होती है। यह हमारे बस की बात नहीं है। जो हमारे बस की बात है, वह हमने इसमें पूरी कही है। उसका ब्यौरा और जवाब देना हमारे बस की बात नहीं है। इतना ही नहीं सर, ये जो फिगर्स हैं, 2001 से 2007 तक, इसमें पूरा हैंडलूम प्रॉडक्शन घट रहा था। 2003-04 में जो -8 परसेंट था, वह

2004-05+4 हुआ है। 2005-06 में +7 है। 2006-07 में इससे भी ज्यादा है। यानी कि हैंडलूम प्रॉडक्शन, जो बढ़ रहा है, वही उसका प्रूफ है कि हैंडलूम वीवर्स के लिए हमारी जो भी स्कीम है, उसका इम्प्लिमेंटेशन करके जो भी लाभ चाहिए, वे ले रहे हैं।

श्री अली अनवर: सभापति जी, मैंने यह पूछा कि आपने, राज्य सरकारों ने कितनी राशि खर्च की? आप हमारा खंड (ग) देखिए। आपने उसका कोई उत्तर नहीं दिया है। आपने मंगाया है, नहीं मंगाया है, कब देंगे, इसका कोई उत्तर नहीं दिया है।

महोदय, दूसरी चीज मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप इंकार कर रहे हैं कि देश में बुनकर खुदकुशी नहीं कर रहे हैं। तमाम माननीय सदस्य जानते हैं कि अखबार में रिपोर्ट है। आपके इंकार करने से नहीं होगा। हम यह जानना चाहते हैं कि उनका जो प्रॉडक्ट है, क्या आपने उसे संरक्षित किया है? यहां ''हथकरघा उत्पादन वस्तुओं का आरक्षण अधिनियम, 1985'' है। राज्यों में भी इस तरह के संरक्षण के नियम हैं। जो सरकारी विभाग है, रेल है, अस्पताल है, जेल है या दूसरे महकमे हैं, उनमें हैंडलूम के प्रॉडक्ट की खरीद की आप कितनी जगह गारंटी करते हैं? पहली बात ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: चलिए हो गया।

श्री अली अनवर: दूसरी बात यह है कि जो उन पर कर्ज है, वे कर्ज में डूबे हुए हैं, आप कह रहे हैं कि बुनकर खुदकुशी नहीं कर रहे हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: इसमें कर्ज का नहीं है।

श्री अली अनवर: आप कह रहे हैं कि बुनकर खुदकुशी नहीं कर रहे हैं, तो मैं इंडिया का बता रहा हूं, बनारस और उत्तर प्रदेश का बता रहा हूं। बिहार में वहां की सरकार ने साढ़े बाइस करोड़ बुनकरों का कर्ज माफ किया है। क्या केंद्रीय स्तर पर आपकी कोई ऐसी योजना है कि बुनकरों को कर्ज मुक्त कर दिया जाए?

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, एक प्रश्न मेरा भी है कि यह स्टेट गवर्नमेंट का और आपका विषय है। स्टेट गवर्नमेंट ने आपकी स्कीम पर क्या कार्यवाही की, इसकी जानकारी आपको आती है या नहीं?

श्री शंकर सिंह वाघेला: सर, स्टेट गवर्नमेंट की जानकारी इतनी नहीं आती है और स्टेट गवर्नमेंट की performance से हम इतने संतुष्ट नहीं हैं. ...(**व्यवधान**)... Co-operative के माध्यम से जो implementation होता है, जैसे यू॰पी॰ को हमने 5 करोड़ रुपए वहां की व्यवस्था को ठीक करने के लिए दिए, इसी तरह आंध प्रदेश को हमने 20 करोड़ रुपए दिए, तमिलनाडु को 20 करोड़ रुपए दिए, यानी co-operatives को पैसे देकर ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: यह आपकी जिम्मेदारी है। इन 20 करोड़ रुपयों का utilization हुआ है या नहीं हुआ, यह आप देखेंगे या नहीं?

श्री शंकर सिंह वाघेला: वह हमारी terms and conditions हैं कि आपको यह करना पड़ेगा, तब हम पैसे देते हैं। जो राज्य, इतनी राशि जमा कराते हैं, उनको हम advance में जमा कराते हैं और इस पैसे को तनख्वाह में खर्च नहीं करते हैं, बल्कि weavers के development पर खर्च करते हैं। जो co-operatives नेगेटिव बैलेंस में चल रही थीं, ये पैसे देने के बाद वे profit में आ रही हैं। तीन राज्यों का कहना है कि उनकी co-operatives profit कमा रही हैं और इनमें लाखों weavers involved हैं।

माननीय सदस्य ने जो दूसरा प्रश्न पूछा है weavers के credit के बारे में, यह under consideration है और हमारी PMO के साथ दो बार मीटिंग हुई है। किसान को 7 परसेंट interest पर credit मिलता है, तो ये जो weavers गांवों में रहते हैं, इनको भी 7 परसेंट interest पर credit मिलना चाहिए। दूसरा, पूरे देश में जो weavers पर 700-800 करोड़ रुपए बकाया हैं, इसको माफ करने के लिए हमने एक proposal move किया है और यह under consideration है, इसलिए आज मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं लेकिन आने वाले दिनों में इसे कैबिनेट में मूव करके 7 परसेंट इंट्रस्ट और जो भी बकाया है, वह पूरी तरह माफ हो, यह under consideration है।

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Thank you, Sir. In spite of dozens of schemes of the Central Government and various schemes of State Governments; it appears that the Government of India is insensitive towards starvation deaths of weavers. I have statistics in respect of my State. About 500 people died of starvation in Andhra Pradesh. About 145 people died in Karimnagar district alone. Still, you say it is a State subject. You are insensitive towards this issue. I would like to inform the hon. Minister that about 500 people died in districts like Karimnagar, Mahboobnagar, Nalgonda, Prakasam and Medak of Andhra Pradesh. The schemes of the Government of India have not reached the needy people. You have reduced the rebate. You have reduced the period of rebate. Though 21 subjects were earmarked for the handloom sector, you have not bothered to look into the purchase by the State and Central Governments. Why don't you constitute a committee to go, at least, into the starvation deaths? This is my request.

श्री शंकर सिंह वाघेला: यह तो राज्य का subject है और स्टेट गवर्नमेंट को देखना है कि इनके यहां क्या हालत है। हैंडलूम के पूरे सिस्टम की सेंट्रल गवर्नमेंट monitoring करती है कि

और इसकी implementing authorities राज्य सरकार और co-operatives होती हैं। अभी जो आपने रिज़र्वेशन की बात कही, शायद 12 items आज भी reserved हैं। इसके लिए मार्केटिंग के हिसाब से त्योहारों पर उन्हें 10 परसेंट incentive देना चाहिए, यह बंद था, इसे हमने इस साल से implement किया है। महात्मा गांधी बजाज स्कीम के तहत हम 300 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में मार्केटिंग के लिए सुविधा दे रहे हैं। इतना ही नहीं आंध्र प्रदेश में co-operatives को 20 करोड़ रुपए देने के बाद हम देख रहे हैं कि जो co-operative नेगेटिव बैलेंस में चल रही थीं, वे आज profit में हैं।

श्री सभापति: पाणि जी, आप पूछिए।

श्री रुद्रनारायण पाणि: धन्यवाद, सभापति जी।

श्री सभापति: जोर से धन्यवाद मत दो।

श्री रुद्रनारायण पाणि: सभापति जी, आज़ादी की लड़ाई का डेढ़ सौवां साल हम मनाने जा रहे हैं। हमें मालूम है कि Manchester के वस्त्र बेचने के लिए अंग्रेज लोग, हमारे यहां के बुनकरों के अंगूठे काट देते थे। बुनकरों के अंगूठे इसलिए काट लिए जाते थे ताकि वह उद्योग बरबाद हो जाए और यहां Manchester के वस्त्र बिकें। यह सरकार किस मंशा से, किस उद्देश्य से बुनकरों को परेशानी में डाल रही है? एक अप्रैल, 2000 से दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना चालू हुई थी, वह योजना ढंग से काम कर रही थी, इसका utilization certificate आप देखिए, तो 99 परसेंट है। क्या कारण है कि यह सरकार दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना को बंद करने जा रही है?

श्री शंकर सिंह वाघेला: सर, इसे कोई बन्द नहीं करने जा रहा है। यह इतनी अच्छी स्कीम है और आपने बताया कि 99 परसेंट implementation है, तो इस स्कीम को बन्द करने का कोई सवाल नहीं है। स्कमी का implementation ठीक हो, इसके लिए जो भी monitoring करनी चाहिए, वह हम करते हैं। अंग्रेजों ने ऊँगलियाँ काटी होंगी, उस समय इसके कारण होंगे, लेकिन यूपीए सरकार के आने के बाद चाहे वह insurance scheme हो, medical scheme हो, हमने तकरीबन 12 लाख weavers को इस insurance scheme के नीचे लाभ पहुँचाया है। Production की जो figure है, इसका मतलब है कि तीन साल से production बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, handloom market में real handloom है, उसकी परख के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने handloom logo भी introduce किया है। हमारे पास 21 लाख applications pending हैं, हमने 11 लाख okay किया है यानी handloom logo का भी बहुत बड़ा प्रभाव है। Genuine handloom के लिए मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में handloom का भविष्य अच्छा रहेगा।

श्री रुद्रनारायण पाणि: सर, वे योजना को क्यों बन्द कर रहे है।?

श्री शंकर सिंह वाघेला: हम इसे बन्द नहीं कर रहे हैं

श्री सभापति: आप बैठिए ...(**व्यवधान**)...

श्री रूद्रनारायण पाणि: आप Integrated Handloom Development Scheme के नाम से दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना को क्यों बन्द कर रहे हैं?

श्री शंकर सिंह वाघेला: हम इसे बन्द नहीं कर रहे हैं।

श्री सभापति: कुमारी निर्मला देशपांडे।

कुमारी निर्मला देशपांडे: महोदय, सरकार द्वारा हथकरघा को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत सी योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जिसके लिए हम जरूर बधाई देना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त मुझे गालिब का एक शेर याद आ रहा है - मर्ज़ बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों दवा की। आखिर मर्ज़ क्यों बढ़ रहा है, इस पर गहराई से सोचना होगा। हथकरघा उद्योग से जुड़े हुए लोगों की जान की भी रक्षा और साथ-साथ उनके उद्योग की भी रक्षा के लिए देश को गम्भीरता से सोचना चाहिए और सही योजना बना कर उस पर अमल करना चाहिए।

श्री शंकर सिंह वाघेला: चेयरमैन सर, बहन जी ने सही फरमाया कि handloom का powerloom से बहुत competition है। पहले ratio ऐसा था कि handloom कम होता जाता था और powerloom बढ़ता जाता था, लेकिन तीन साल से handloom भी बढ़ रहा है, powerloom भी बढ़ रहा है और mill production भी बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि कहीं सही जगह इसकी दवा हो रही है। मर्ज़ के हिसाब से जो फरमाया, तो शायद कोई patient admit हो, तब उसके insurance का implementation होता है, लेकिन हमारी जो स्कीम है, शायद यह इंडिया में पहली स्कीम है कि हमने तो outdoor patient को भी इसका लाभ पहुँचाया है कि outdoor patient आएगा, अगर बुखार भी है, तो उसका हमारे insurance के हिसाब से जो मिलना चाहिए, उसका 100 परसेंट लाभ मिलता है। यह पहली योजना है जिसमें admit भी नहीं होना पड़ता है और outdoor patient को भी हम अच्छी सुविधा देते हैं। तकरीबन 22 लाख weavers इस insurance scheme का लाभ ले रहे हैं।

SHRIMATI PREMA CARIAPPA: Sir, what are the steps being taken by the Central Government and the State Government particularly in the State of Karnataka for the welfare and economic self-dependency of women weavers? I would like to know whether any specific scheme or package has been taken up for the women weavers.

श्री शंकर सिंह वाघेला: सर, इसमें तकरीबन 60 परसेंट women weavers होती हैं और इनके लिए मैंने जिस insurance scheme की बात की है, बाहर से भी जाकर outdoor patient के हिसाब से इनको सुविधा मिलती है। हमने कर्नाटक को तकरीबन 19 करोड़ रुपए की मदद की है और आज कर्नाटक को-ऑपरेटिव profit में है। इतना ही नहीं, हमारी जो cluster schemes हैं और Hank-Yarn Depot की जो स्कीम है, weavers इसका लाभ भी उठा रहे हैं और handloom cluster का भी प्रभाव काफी है। इतना ही नहीं, हमने TUFS के नीचे भी इसको includes किया है और आने वाले दिनों में TUFS को जो लाभ मिलता है, वह भी weavers को, जो handloom production करेंगे, उनको मिलेगा।

SHRI JESUDASU SEELAM: I would like to draw the kind attention of the hon. Minister to the fact that the textile industry is the second largest industry after agriculture where unorganised labour is working. This relates to the economic self-dependency of weavers. Sir, because of innumerable suicidal deaths in the Prakasam District and Chirala, a team of officers of the Central Government and the State Government visited these places. They have prepared a proposal for ameliorating the conditions of weavers, especially those who have taken loans from private money lenders. What has happened to the special package, with special reference to the weavers of the Parkasam District? Secondly, whenever the apparel parks are established, the labourers are displaced, which has been clearly highlighted many times. Is it not the intention of the Government to rehabilitate them by imparting special skills, by improving their functional abilities, so that it would not lead to further deprivation?

श्री शंकर सिंह वाघेला: सर, माननीय सदस्य ने जो पहली बात कही तो उस के बारे में जो रिपोर्ट आएगी तब मैं आपको जरूर बताऊंगा, अभी मेरे पास रिपोर्ट नहीं है। दूसरे, आपने पार्क के बारे में कहा, तो हैंडलूम के लिए वह टैक्सटाइल पार्क वाली स्कीम नहीं है, हैंडलूम के लिए हमने क्लस्टर्स डवलप किए हैं क्योंकि टैक्सटाइल पार्क में सौ करोड़ रुपए का इनवैस्टमैंट है, सौ एकड़ जमीन है और उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस काफी स्ट्रांग हैं, जो हैंडलूम प्रोडयूस करने वालों के लिए डिफीकल्ट है। इसलिए उनके लिए हमने हैंडलूम क्लस्टर्स इम्प्लीमैंट किए हैं और उसका लाभ कई लोग ले रहे हैं।

श्री दत्ता मेघे: सर, नागपुर में बहुत बुनकर हैं आरे उनकी हालत दिन-ब-दिन खराब हो रही है। वहां की सब मिलें बंद हो रही हैं। माननीय मंत्री जी एक उद्घाटन के मौके पर नागपुर आए थे, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि वहां नागपुर में जो मिलें बंद हुई हैं, क्या उन बुनकरों को आप नागपुर शहर में काम देंगे?

श्री शंकर सिंह वाघेला: देखिए, हैंडलूम और पावरलूम का सब से ज्यादा competition महाराष्ट्र व तमिलनाडु में है, इसलिए वहां हैंडलूम इंट्रोडयूस करना पड़ा कि यह रियल हैंडलूम है, पावरलूम की कॉपी नहीं है। इतना ही नहीं खाली हैंडलूम वीवर्स के लिए नहीं, कई राज्यों में ऐसे मिल बंद होने से उन में जो वर्कर्स थे, वे जरूर Unemployed हुए हैं, उनको वी॰आर॰एस॰ दिया है और

ऐसे labourers को शोषण नहीं हुआ है। नागपुर में जो फिनले मिल है, उसके बारे में वहां के चीफ मिनिस्टर मुझे मिले थे, माननीय शरद पवार जी से भी मिले थे और बात हुई थी। महोदय, यह जो फिनले मिल महाराष्ट्र के मुंबई में है, उसको वहां से हटाकर विदर्भ के इलाके में मॉडर्नाइजेशन के साथ चालू किया जाय, ऐसा under consideration है। वह फिनले वाली मिल, विदर्भ के एरिया में कहीं पर भी ले जाने के बारे में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के साथ consultation के पश्चात् हम put up करने जा रहे हैं और वहां जो unemployed होंगे, उनको हम नौकरियां देंगे।

श्री दिग्विजय सिंह: सभापति महोदय, पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के माननीय सदस्यों ने इस सवाल को बहुत गंभीरता से लिया है। माननीय मंत्री जी भी काफी अनुभवी हैं, इसलिए मैं अपना सवाल आपके सामने रख रहा हूं। कल हम सब लोग अपनी आजादी की लड़ाई के प्रारंभ 1857 का जश्न मनाएंगे। महोदय, हम अपनी आजादी के लड़ाई के डेढ़ सौ साल के इतिहास का पहला जश्न मनाने जा रहे है। मंत्री जी, शायद आप को भी इस बात की जानकारी हो, मैं इतिहास का विद्यार्थी होने की हैसियत से कह सकता हूं कि आजादी की लड़ाई में बुनकरों की बहुत बड़ी भूमिका थी। जो लोग उस समय मोमिन कांफरेंस के नाम से काम करते थे, उस में आजादी की लड़ाई के बड़े-बड़े नेता पैदा हुए। चूंकि कल आप आजादी की लड़ाई का यह जश्न मनाने जा रहे हैं, तो क्या अपनी आजादी की लड़ाई के डेढ़ सौ साल का जश्न मनाते समय आपके विभाग में कोई ऐसा ख्याल आएगा जिस में यह लगे कि बुनकरों का भी हमारी आजादी की लड़ाई में योगदान रहा है?

श्री शंकर सिंह वाघेला : सर, हम ने साथ मिलकर देश को आजाद कराने के लिए यह आजादी की लड़ाई लड़ी । उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, एग्रीकल्चर का भी पुराना Concept था, घर में हैंडलूम के नाम से कपड़े का प्रोडक्शन होता था—तो वही किसान, वही हैंडलूम वीवर्स और वही मार्केटिंग करने वाला—इस तरह उस में पार्टनर सिस्टम का काफी प्रभाव था। यह ठीक है कि उस समय तमिलनाडु जैसे प्रदेश में, हैंडलूम और पावरलूम के हिसाब से, वहां के पार्टी लीडर्स भी अपने कंधे पर हैंडलूम का वस्त्र लोगों में पॉपुलर बनाने के लिए डालकर जाते थे। लेकिन आपने यह जो प्रपोजल रखा है, मैं इसे 1857 की आजादी की लड़ाई को ध्यान में रखते हुए गंभीरता से लूंगा और देखूंगा कि आज डेढ़ सौ साल बाद हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। I will consider your proposal.

श्रीमती विप्लव ठाकुर : सभापति महोदय, हिमाचल प्रदेश में बुनकरों द्वारा निर्मित कुल्लू का शाल और चंबा का रेशमी रुमाल बहुत पॉपुलर है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि केन्द्र की सरकार ने इस के लिए, जैसे कि दूसरे राज्यों को दिया है, हिमाचल प्रदेश को कितना पैसा दिया है और क्या सरकार वहां के बुनकरों के हैंडलूम के पैटर्न्स को पेटेंट करने के लिए कोई कदम उठा रही है जिससे कि मिल्स उन को कॉपी न कर सकें और उनकी originality बनी रहे?

श्री शंकर सिंह वाघेला : चैयरमेन सर, वह difficult है, इसलिए हैंडलूम के लोगों को identify करने के लिए हमने इसे इंट्रोडयूस किया है और काफी अच्छा response मिल रहा है। मैं सभी माननीय सदस्यों से कहूंगा कि अगर आप अपने राज्य में इंटरेस्टेड हैं तो हर राज्य में जो वीवर्स की कोऑपरेटिव्स हैं, वीवर्स की स्टेट कोऑपरेटिव बॉडीज हैं, अगर उनके बारे में राज्य सरकार वह प्रपोजल भेजेगी कि हमारे यहां कोऑपरेटिव्स मायनस में है, लॉस में काम कर रही है।, तो हम उनके लिए पैसे देंगे। हम ने ऐसे 3-4 राज्यों में सहायता दी है जहां कि कोऑपरेटिव्स मायनस में थीं और आज वे प्राफिट में है और मैं समझता हूँ कि लाखों weavers इसमें involved हैं। हिमाचल सरकार की ओर से भी कोई प्रोपोजल आएगा तो इस संदर्भ में जितने पैसे भी हमारी ओर से देने होंगे, वह हम जरूर देंगे और हिमाचल सरकार से भी हम रिक्वैस्ट करेंगे कि वह भी इतनी पूँजी जमा कराए।

श्री शरद यादव : सभापति जी, माननीय सदस्य श्री दिग्विजय सिंह जी ने जो सवाल पूछा था, उसे मंत्री जी समझ नहीं पाए। हिन्दुस्तान की गुलामी इस देश के हाथ के जो बुनकर हैं, उनके चलते भी आई। उन्होंने जो पूछा था, पता नहीं उसको वह समझ पाए या नहीं समझ पाए। उन्होंने निवेदन किया था कि जो 1857 का उत्सव आप मना रहे है, उसमें देश के जो weavers हैं, उन्होंने देश के विभाजन के मामले में भी सबसे ज्यादा विरोध भी किया और राष्ट्र की मुख्य धारा में, देश की मुख्य धारा में सबसे ज्यादा ये लोग रहे, इनका योगदान रहा है। इसलिए दिग्विजय सिंह जी ने जो पूछा था, उसका आशय यह था कि 1857 का जो उत्सव आप मना रहे हैं, उसमें इतिहास के इस उत्सव के अन्दर उन सब लोगों का समावेश होगा कि नहीं होगा। वह यह कह रहे हैं। आप इसके लिए प्रयास करेंगे या नहीं? उनका यह सवाल था।

श्री शंकर सिंह वाघेला : इस सब्जैक्ट पर मैं नहीं समझता कि इतने सालों बाद कोई कंक्रीट प्रोपोजल आपकी ओर से आएगा। आप सीनियर हैं, एक्सपेरिएंस्ड हैं । इनको 1857 का यहाँ क्या और कैसे इन्क्लूड किया जा सकता है, उस बारे में आपका जो भी प्रोपोजल आएगा,we will consider that.

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुंशी) : सर, मैं मंत्री जी के सहयोग के लिए और उनकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूँ कि हमारा कल्चर दफ्तर इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे चुका है। Historians को लेकर एक उच्च स्तरीय कमेटी बनी है। उसके आधार पर 2-3 फीचर फिल्मस बनेंगी और कुछ अच्छे कल्चरल कार्यक्रम भी बनेंगे, इसके साथ ही आजादी की लड़ाई में बुनकरों का हिस्सा क्या था, उसको भी दिखाया जाएगा।